

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या - 10  
उत्तर दिनांक 29/01/2026 को दिया गया

**परमाणु सुरक्षा और संरक्षा**

10. श्री नारायण कोरागप्पा  
श्री शंभू शरण पटेल  
श्रीमती रेखा शर्मा

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या सरकार ने परमाणु संरक्षा, विकिरण संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार हैं;
- (ग) भारतीय परमाणु संयंत्रों में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अभिसमयों के अनुपालन की निगरानी किस प्रकार की जाती है; और
- (घ) क्या सभी प्रचालित परमाणु रिएक्टरों में आवधिक सुरक्षा लेखापरीक्षाएं और आपातकालीन तत्परता अभ्यास आयोजित किए जाते हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क), (ख) व (ग) :

- i) भारत में नाभिकीय और विकिरण सुविधाओं में नाभिकीय संरक्षा के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। भारत में असैन्य नाभिकीय सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) नाभिकीय संरक्षा, विकिरण संरक्षण और नाभिकीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन व्यापक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के माध्यम से करता है। यह प्रणाली सभी नियामक और प्रबंधन प्रक्रियाओं को एक एकीकृत ढांचे में समेकित करती है, जिससे नियामक निर्णय लेने में सामंजस्य, निरंतरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है। विनियमन को सुव्यवस्थित करने और एकसमान मानकों को बढ़ावा देने के लिए, एईआरबी ने संरक्षा संहिताओं, दिशा-निर्देशों और मानकों का एक व्यापक सेट विकसित किया है जिसका अनुपालन करना सभी प्रचालकों के लिए आवश्यक है।

इन नाभिकीय संस्थापनाओं को कानूनी रूप से प्रचालित करने के लिए संबंधित सुविधाओं को एईआरबी से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ये लाइसेंस निर्धारित संरक्षा मानकों के

सख्ती से अनुपालन पर आधारित होते हैं। एईआरबी निरीक्षकों को अनुपालन को सत्यापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त सुविधाओं का नियमित निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अनुपालन में किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में, एईआरबी सुधारात्मक सिफारिशें और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। अनुपालन न होने की गंभीर स्थितियों में, एईआरबी को प्रचालन लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।

ii) संरक्षा को प्रभावित करने वाले नाभिकीय संरक्षा पहलुओं को एईआरबी की नियामक व्यवस्था में जोड़ा गया है। संरक्षा और सुरक्षा के बीच इंटरफेस के प्रबंधन के लिए आंतरिक व्यवस्थाएं स्थापित कर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा उद्देश्यों से समझौता किए बिना संरक्षा उपायों का अभिकल्पन और कार्यान्वयन किया जाए। एईआरबी सुविधाओं और गतिविधियों पर लागू नाभिकीय सुरक्षा आवश्यकताओं को विकसित करता है और संरक्षा और सुरक्षा दोनों पक्षों को देखने के लिए निरीक्षण करता है। नाभिकीय और विकिरण सुविधाओं के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित सूचना, औपचारिक कार्य व्यवस्था के माध्यम से परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ साझा की जाती है, जिससे समन्वित निरीक्षण और प्रभावी कार्यान्वयन संभव होता है।

iii) भारतीय नाभिकीय सुविधाओं में अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय और विकिरण संरक्षा अभिसमयों के अनुपालन की निगरानी व्यवस्थित रूप से परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा की जाती है और इसे सु-व्यवस्थित ढांचे के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है जो नियामक निरीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत संरक्षा मानकों के साथ संरेखण को एकीकृत करता है। यह ढांचा अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार नाभिकीय संरक्षा, सुरक्षा और पारदर्शिता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(घ) i) सार्वजनिक क्षेत्र में नाभिकीय आपात स्थिति प्रबंधन के लिए बुनियादी संरचना संबंधी आवश्यकताएं, जैसाकि आपात प्रतिक्रिया कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा निर्धारित की गई हैं, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय प्राधिकरण के समन्वय से बनाए रखी जाती हैं।

ii) आपात स्थिति में जन-सामान्य की सुरक्षा के लिए एईआरबी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं और मार्गदर्शन के अनुसार आपातकालीन तैयारी और अनुक्रिया योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का परीक्षण समय-समय पर अभ्यासों के माध्यम से किया जाता है तथा वर्तमान आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुरूप समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

\*\*\*\*\*